

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 34/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुखवन्त सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह,  
ग्राम मजरा मरदान, तहसील गदरपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री सुखवन्त सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU2C410180561 (02 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 13.11.2021 को नया विद्युत मीटर लगाया गया था, इसके उपरान्त भी प्रार्थी को रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं जिस कारण प्रार्थी की देयता बढ़ती जा रही है। विद्युत बिल अधिक होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी की विद्युत आपूर्ति भी बन्द है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 20.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025, 09.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2246 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 11/2021 से वर्तमान तक के विद्युत बिल रू० 40752.00 में संशोधन कर रू० 15983.00 का समायोजन देते हुए रू० 24749.00 का संशोधित

क्रमशः 2.....

बना दिया गया है। परिवादी की विद्युत अपापूर्ति भी बहाल कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 01/2025-26

दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह,  
डोंगपुरी, गदरपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU90363004706 (05 एच.पी. नलकूप) पर स्थापित विद्युत मीटर खराब हो गया था जिसे माह जून 2021 में बदलकर नया मीटर लगाया गया था। मीटर बदले जाने के बाद से ही परिवादी को औसतन लगभग 2000 यूनिट के बिल जारी किए गये हैं जिसे परिवादी द्वारा जमा भी किया जाता रहा है, परन्तु माह जून 2024 में परिवादी को 28594 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित नलकूप विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 02.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.04.2025, 13.05.2025, 26.05.2025 व 09.06.2025 को परिवादी के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार के और विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

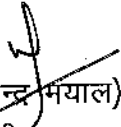
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2112 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि दिनांक 22.04.2025 को सुनवाई के दौरान मंच द्वारा दिये गये

क्रमशः 2.....

निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बिल में संशोधन करने पर रू0 26119.00 का समायोजन देते हुए रू0 72540.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मियाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 03/2025-26

दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राम निवास पुत्र श्री गोपी राम,  
वार्ड नं० 04, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।  
बनाम  
अधिकासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री राम निवास पुत्र श्री गोपी राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU1D205186432 (02 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर खराब था फिर भी मीटर रीडर द्वारा रीडिंग का बिल प्रेषित किया गया। परिवादी द्वारा मीटर चेक करने हेतु आवेदन किया गया, जिसके उपरांत विद्युत परीक्षण खण्ड की ओर से आये कर्मचारी द्वारा बताया गया कि परिसर पर लगा विद्युत मीटर खराब है, इसकी जांच नहीं की जा सकती है। इसके उपरांत परीक्षण खण्ड द्वारा नया मीटर लगा दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल (रु० 80616.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 03.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.04.2025, 13.05.2025, 26.05.2025 व 09.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

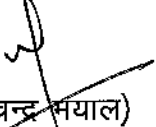
विपक्षी विभाग के सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने अपने पत्र दिनांक 09.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के त्रुटिपूर्ण बिल में संशोधन करने पर उसे रु० 75070.00 का समायोजन दिया गया है, जिसके उपरांत परिवादी का मई 2025 तक का बिल रु० 82782.00 से

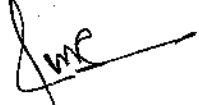
क्रमशः 2.....

घटकर रू0 7712.00 (ASD अतिरिक्त) हो गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मथाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 04 / 2025-26

दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री बाल किशन वास्ते श्री मोहित जोशी,  
ग्राम विडौरा, सितारगंज।

परिवादी

बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री बाल किशन की ओर से श्री मोहित जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनका विद्युत संयोजन संख्या-882M410335211 (03 किलोवाट, घरेलू) जिस परिसर में स्थापित है, उसके पास हाल ही में एक पेट्रोल पम्प को विद्युत आपूर्ति देने हेतु एक 11000 वोल्टेज की एच.टी. लाईन बनाई गयी है, जबकि यह एक आबादी वाली जगह है तथा यहां स्कूल, बैंक, क्लीनिक व अन्य भवन भी मौजूद हैं। हालांकि उक्त विद्युत लाईन बनाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई होगी। फिर भी संदेह को दूर करने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 और अन्य प्रासंगिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए विस्तृत जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और रोगियों हेतु सम्भावित खतरे को रोकने के लिए इस एचटी विद्युत लाईन को सुरक्षित मार्ग पर स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 03.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.04.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.04.2025, 14.05.2025 व 26.05.2025 को परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री मोहित जोशी के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

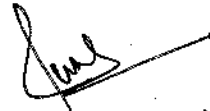
विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) ने अपने पत्र संख्या-187 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर ग्राम विडौरा में 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण विभागीय नियमानुसार व (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय) विनियम-2003 के अन्तर्गत किया गया है, जोकि पूर्णरूप से विभागीय नियमानुसार है। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की यह शिकायत एच.टी. विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित है। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation, 2019 के विनियम-3.1(5) के अनुसार विद्युत लाइन/पोल/उपकरण की शिफ्टिंग से संबंधित प्रकरणों में सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

### आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

  
(रमेश चन्द्र मेहता)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 23/2025-26

दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री करम चन्द वर्मा पुत्र श्री राम कुमार वर्मा,  
ग्राम नौसर, खटीमा।

बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री करम चन्द वर्मा पुत्र श्री राम कुमार वर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 05.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH2P160058196 (01 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां विद्युत सप्लाय की बहुत दिक्कत आ रही है। कभी लाईट बहुत कम व कभी बहुत अधिक हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत सप्लाय को ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 05.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.05.2025 व 27.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

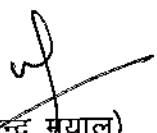
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-810 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत अनियमित वोल्टेज (कम-ज्यादा वोल्टेज) के सम्बन्ध में है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपसंस्थान, हल्दी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा लिखित संतुष्टि भी व्यक्त की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट व परिवादी

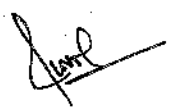
क्रमशः 2.....

द्वारा लिखित संतुष्टि पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र प्रयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 25/2025-26

दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० सराफ पब्लिक स्कूल केयर ऑफ श्री प्रकाश कुमार,  
लोहिया हैड रोड, खटीमा।

परिवादी

बनाम  
अधिकासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी मै० सराफ पब्लिक स्कूल केयर ऑफ श्री प्रकाश कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनका विद्यालय पिछले 32 सालों से संचालित है। वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 2200 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय के अनेक छात्र एवं स्थानीय नागरिक प्रतिदिन लोहिया हैड रोड, खटीमा का प्रयोग करते हैं, जहां से हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही है। कई बार यह भी देखा गया है कि सड़क किनारे विद्युत तार बिखरे या लटके रहते हैं, जिससे छात्रों एवं राहगीरों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक एवं खतरनाक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 09.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

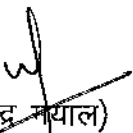
विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-811 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा विद्युत तारों से सम्बन्धित शिकायत के अनुपालन में विद्युत वितरण उपखण्ड, खटीमा के पत्र संख्या-332 दिनांक 21.05.2025 द्वारा सम्बन्धित

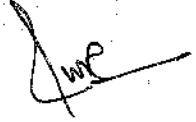
क्रमशः 2.....

अवर अभियन्ता के साथ स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया कि लोहियाहेड रोड में 33 के0वी0 कंजाबाग, खटीमा पोषक व 33 के0वी0 औद्योगिक पोषक की विद्युत लाईन गुरज रही है, जिसमें 33 के0वी0 औद्योगिक पोषक भूमिगत लाईन होने के कारण अतिरिक्त ओवरहेड निर्जीव तारें पड़ी थी, जिन्हें हटा दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 26/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

मै० संगकज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड,  
प्लॉट नं० 7एच, सेक्टर 09, सिडकुल, रुद्रपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी मै० संगकज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-890K000003759 (900 केवीए औद्योगिक) का दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि का बिल विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने अप्रैल माह का विद्युत बिल निर्गत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 13.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

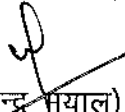
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1875 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का माह 04/2025 (अवधि 31.03.2025 से 30.04.2025 तक) का विद्युत बीजक (रु० 20,42,453.00) बिलिंग प्रणाली में सुधार होने के पश्चात् दिनांक 13.05.2025 को निर्गत कर दिया गया है। परिवादी की शिकायत में दर्ज मोबाईल न० पर दिनांक 14.05.2025 को उनके बिल की जानकारी भेज दी गई है। साथ ही परिवादी के विद्युत संयोजन में मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट करने हेतु खण्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र

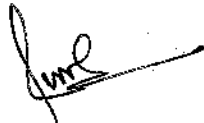
क्रमशः 2.....

देने के लिए अनुरोध भी किया गया है, ताकि भविष्य में परिवादी को विद्युत बिल की जानकारी ससमय प्राप्त हो सके। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र भट्टाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 27/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नरदेव सिंह वास्ते श्री अनमोल चौधरी,  
बिपुल बिहार सोधी फार्म, कुण्डयोवाला रोड, काशीपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री नरदेव सिंह की ओर से श्री अनमोल चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-JS2SE12886841 (01 किलोवाट घरेलू) की विद्युत सप्लाई दिनांक 11.05.2025 को शाम 06 बजे फेल हो गयी थी, जिसकी सूचना नजदीकी सबस्टेशन को दी गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके उपरांत दिनांक 12.05.2025 को दोपहर 3:55 बजे हेल्पलाइन नम्बर 1912 पर शिकायत दर्ज करायी गई, जिसकी शिकायत संख्या-21205250385 है। इसके उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 13.05.2025 को पुनः टोल-फ्री नं० 1912 पर शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसकी शिकायत संख्या-21305250042 है। इसके उपरांत भी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पिछले 02 दिनों से बिना लाईट के काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत सप्लाई को सुचारु कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 13.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.05.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी, जसपुर-2 के तर्क सुने गये।

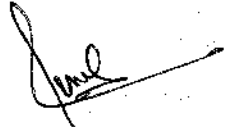
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) ने अपने पत्र संख्या-367 दिनांक 15.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि अवर अभियन्ता सरबरखेड़ा की आख्यानानुसार उक्त परिसर से सम्बन्धित विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत सरबरखेड़ा उपसंस्थान के Mobile Complaint Number पर दिनांक 12.05.2025 को दर्ज कराई गई, जिसके निवारण हेतु लाईन स्टाफ द्वारा उक्त क्षेत्र/परिसर के 25 के0वी0ए0 के परिवर्तक के उड़े फ्यूज को जोड़कर सप्लाय चालू की गई, परन्तु परिवर्तक के फ्यूज कुछ समय पश्चात् पुनः उड़ गये। इसके उपरान्त परिवर्तक की जांच हेतु फीडर के शटडाउन की उपलब्धता न होने के कारण परिवर्तक की जांच शाम के समय फीडर के शटडाउन के समय की गई, जिसमें परिवर्तक खराब पाया गया। दिनांक 14.05.2025 को परिवर्तक बदलने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। दिनांक 14.05.2025 को परिवादी से दूरभाष पर वार्ता के दौरान बताया गया कि उनकी विद्युत सप्लाय सुचारु चल रही है, जिससे वह संतुष्ट है। परिवादी ने फोरम के समक्ष अपनी संतुष्टि ई-मेल के माध्यम से भी प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट एवं परिवादी के संतुष्टि पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 29/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपरिस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जमालुद्दीन अली पुत्र श्री रहमत अली,  
ग्राम अलखदेवी, गदरपुर।

परिवादी

बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री जमालुद्दीन अली पुत्र श्री रहमत अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU2M206208027 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है जिसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में लगातार की गई है। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पिछले 06 माह से प्रत्येक बिल में एएसडी किस्त के रूप में रु० 1000.00 जुड़कर आ रही है। वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है वह इतना अधिक बिल जमा करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने अत्यधिक बिल आने व अनावश्यक एएसडी जोड़ना बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 16.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025 व 09.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1987 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उपरोक्त शिकायत ASD माफ किए जाने हेतु की गई, जबकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही विद्युत बिल में ASD

क्रमशः 2.....

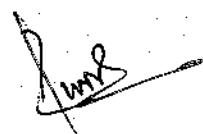
जोड़ी जा रही है, जिसे माफ किया जाना खण्ड कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी का विद्युत संयोजन 01 किलोवाट क्षमता है, जबकि माह 01/2025 एवं 02/2025 में उनकी अधिकतम मांग क्रमशः 3.00, 3.13 किलोवाट रही। इसके अतिरिक्त माह 04/2024 से माह 07/2024 के बीच भी उनकी अधिकतम मांग 1.00 से अधिक रही है, जिसके कारण विपक्षी विभाग द्वारा उनके संयोजन पर ASD जोड़ी गई है, जोकि सही एवं विभागीय नियमानुसार है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मेहता)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 30/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमला देवी,  
नियर डिवाइन सिटी, छतरपुर, रुद्रपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादिनी श्रीमती कमला देवी का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा एक नये घरेलू विद्युत संयोजन हेतु विभागीय कार्यालय में आवेदन किया गया है, जिसका शुल्क भी जमा करा दिया गया है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नये संयोजन को जल्द से जल्द ऊर्जीकृत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 16.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

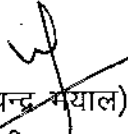
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1967 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा नये विद्युत संयोजन (02 किलोवाट) हेतु दिनांक 08.05.2025 को रसीद संख्या-344520805252828003 के माध्यम से ₹0 2200.00 का भुगतान किया गया था। नये संयोजन के सापेक्ष भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त परिवादिनी के परिसर पर निर्धारित अवधि के भीतर दिनांक 16.05.2025 को स्मार्ट मापक (मापक संख्या-12066625) स्थापित

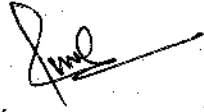
क्रमशः 2.....

कर संयोजन निर्गत कर दिया गया, जिसका सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या-101870 दिनांक 16.05.2025 ही जारी कर दिया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये संयोजन स्थापित होने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं ऑनलाईन सर्विस रिलीज होने की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

  
(रमेश चन्द्र मथाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 37/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री भास्कर जोशी,  
गायत्री विला, जयनगर नं० 04, रुद्रपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री भास्कर जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-8922306320179 (04 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां विद्युत सप्लाई 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर से आ रही है। उक्त कालोनी में अधिक मकान बन जाने के कारण सप्लाई पूर्ण नहीं आ रही है, जिस कारण बिजली कटौती, वोल्टेज से सम्बन्धित समस्या होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नहीं चल पा रहे हैं। उक्त समस्या के लिए विभागीय कार्यालय में दिनांक 16.04.2025 को लिखित रूप से शिकायत कर उक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 21.05.2025 को पुनः विभागीय कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी ली गई, तो विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त अनुमोदन देहरादून कार्यालय को भेज दिया गया है। वर्तमान में उक्त कालोनी की विद्युत खपत 65 के०वी०ए० से अधिक है जो भविष्य में और बढ़ने की सम्भावना है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त कालोनी/परिसर पर स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाने की प्रार्थना की है।

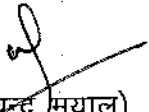
उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 22.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

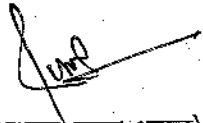
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-2202 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त प्रकरण में विभागीय अनुमति मिलने के उपरांत दिनांक 29.05.2025 को सम्बन्धित क्षेत्र में स्थापित 25 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलकर 63 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में विद्युत सप्लाई सामान्य है। परिवादी द्वारा शिकायत का समाधान होने पर अपनी संतुष्टि ई-मेल के माध्यम से फोरम के समक्ष प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मथाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 39/2025-26

दिनांक : 10.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रपुर।  
बनाम  
अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रपुर का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-896B311156957 (05 किलोवाट व्यवसायिक) पर सोलर पैनल लगवाये हुए 01 वर्ष से अधिक हो गया है, जिसके उपरांत से विद्युत विभाग की ओर से विद्युत बिल निर्गत करने में काफी समस्या आ रही है। उनको ससमय बिल प्राप्त नहीं हो रहा है और न ही कोई जानकारी मिल रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 23.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी की ओर से श्री अजय मैग्नेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

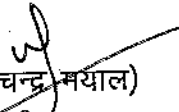
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-2212 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित सोलर मापक संख्या-X2321695 में दर्ज Import Current Reading 8152 kwh एवं Export Current Reading 1455 kwh के आधार पर माह 06/2025 का रू० 56344.00 का संशोधित बिल निर्गत कर दिया गया

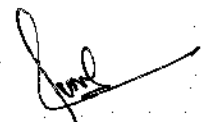
क्रमशः 2.....

है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मिश्रा)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 279/2024-25

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दलविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह,  
ग्राम अरजुनपुर दिनेशपुर, गदरपुर।  
बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री दलविन्दर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—RU9DS04009194 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल ज्यादा आ रहा है उन्हें संदेह है कि उनका विद्युत मीटर तेज चल रहा है। जबकि उनका उक्त नलकूप संयोजन 04 एकड़ खेत में लगा हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित नलकूप विद्युत संयोजन पर लगे विद्युत मीटर की जांच कराकर बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 06.02.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.02.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.02.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.02.2025, 10.03.2025, 24.03.2025, 07.04.2025, 22.04.2025, 13.05.2025, 26.05.2025, 09.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1847 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत परीक्षण खण्ड, रुद्रपुर द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—020/00280 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा परिवादी के उक्त संयोजन पर चैक मापक स्थापित कर दिया गया तथा सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—008/RDR/ETD/KK 01182 दिनांक 08.05.2025 के

क्रमशः 2.....

द्वारा चैक मापक उतारकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अवगत कराया गया है, कि "परिवादी का चैक मापक फाईनल करने हेतु परिवादी के परिसर में गये एवं पाया गया कि परिवादी द्वारा चैक मापक स्थापना की अवधि से आज दिनांक तक ऊर्जा की खपत नहीं की गयी जिस कारण परिवादी के मापक की जांच कर पाना सम्भव नहीं है"। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मीटर लगवाने एवं उतारे जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

### समीक्षा

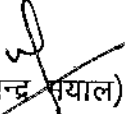
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में अपने संयोजन पर लगे विद्युत मीटर के तेज चलने की आशंका व्यक्त करते हुए उक्त मीटर की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 10.03.2025 को इस मंच द्वारा परिवादी को दूरभाष पर अवगत कराया गया कि मापक की जांच हेतु उनके द्वारा चैक मापक शुल्क जमा कराया जाना आवश्यक है, जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को चैक मापक शुल्क का भुगतान किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.04.2025 को नियमानुसार परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित कर दिया गया, परन्तु परिवादी द्वारा विद्युत की खपत न करने के कारण उसके मापक की जांच नहीं हो पाई। विपक्षी विभाग का कथन है कि उनके द्वारा परिवादी को लगातार बताया जा रहा है कि मीटर की जांच हेतु विद्युत का उपभोग करना आवश्यक है, परन्तु परिवादी द्वारा अपने संयोजन से विद्युत खपत नहीं की जा रही है। दिनांक 08.05.2025 को विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर स्थापित चैक मापक उतार लिया गया तथा सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या-008/RDR/ETD/KK 01182 में यह टिप्पणी अंकित की गई, "परिवादी का चैक मापक फाईनल करने हेतु परिवादी के परिसर में गये एवं पाया गया कि परिवादी द्वारा चैक मापक स्थापना की अवधि से आज दिनांक तक ऊर्जा की खपत नहीं की गयी जिस कारण परिवादी के मापक की जांच कर पाना सम्भव नहीं है है।"

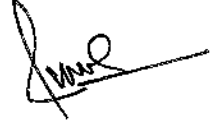
सीलिंग प्रमाण पत्र में अंकित उक्त टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.04.2025 को स्थापित चैक मापक पूरे एक माह तक परिवादी परिसर पर लगा रहा, परन्तु विपक्षी विभाग के बार-बार अवगत कराने के बावजूद परिवादी द्वारा उक्त संयोजन से विद्युत खपत नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस पूरे एक माह की अवधि में उसके मापक की जांच नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त यहां पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि परिवादी की वर्तमान शिकायत के संबन्ध में इस मंच द्वारा दिनांक 24.02.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक लगातार सुनवाई की गई, परन्तु परिवादी द्वारा किसी भी नियत तिथि पर सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि परिवादी को अपनी इस शिकायत एवं उसके समाधान में स्वयं कोई रुचि नहीं है। संभवतः यहीं कारण है कि पूरे एक माह तक उसके परिसर पर चैक मापक स्थापित रहने के बावजूद उसके द्वारा विद्युत का उपभोग नहीं करते हुए अपने मापक की जांच कराने का अवसर स्वयं ही गंवा दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में परिवादी की वर्तमान शिकायत का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवादी की यह शिकायत अस्वीकार करने योग्य नहीं है।

क्रमशः 3.....

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मथाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 24/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह,  
ग्राम देवीपुरा, जसपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-JS9H781131978 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल बहुत समय से निर्गत नहीं किया जा रहा है जिस कारण सही बिल की जानकारी नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क कर बिल प्राप्त किया जिसमें पूर्व रीडिंग 1165 व वर्तमान रीडिंग 14781 दर्ज करते हुए ₹0 34720.00 का बिल बनाया गया है, जो बहुत अधिक है। उनके मीटर में वर्तमान रीडिंग 3571 दर्ज है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित नलकूप विद्युत मीटर में दर्ज वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 09.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.05.2025, 10.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सद्दाम अली, उपखण्ड अधिकारी, जसपुर-प्रथम के तर्क सुने गये।

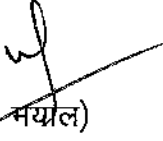
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1359 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत मीटर में दर्ज वास्तविक रीडिंग के आधार पर उनके विद्युत बिल में ₹0 26881.00 का समायोजन देते हुए ₹0 6083.00 का संशोधित बिल बना

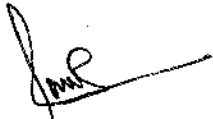
क्रमशः 2.....

दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र भट्ट)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 32/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गुरदीप सिंह पुत्र स्व० श्री मंगा सिंह,  
ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री गुरदीप सिंह पुत्र स्व० श्री मंगा सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि वह अपने आवास निर्माण कार्य कर रहा था, निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत फिटिंग का कार्य चल रहा था जिसमें उनके द्वारा 02 ए.सी. अपने कमरे में लगवाये गये थे जिन्हें दिनांक 20.09.2024 व दिनांक 25.09.2024 को मयंक इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इलैक्ट्रीकल्स, नैनीताल बैंक के पास पड़ाव, जिला-नैनीताल से खरीदे गये हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा था जिस कारण विद्युत उपभोग सुचारु नहीं हुआ था कि विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के बार-बार कहने पर भी प्रार्थी के विरुद्ध अनियमित विद्युत उपभोग का एसेसमेंट कर उसका चालान कर दिया गया और प्रार्थी को अपने प्रभाव में लेने के लिए कुछ पैसे कम करके उससे शेष धनराशि जमा करवा ली गई, जोकि सरासर गलत व अनियमित कार्यों पर आधारित है। उसके स्वर्गीय पिता के नाम से एक अन्य संयोजन उनके दूसरे मकान पर सुचारु है। उनके द्वारा लगाये गये 02 ए.सी. सहित गलत निर्धारण एसेसमेंट बनाया गया है जबकि निर्माण कार्य गतिमान है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर निर्माण के विरुद्ध अनियमित विद्युत उपभोग एसेसमेंट को पुनः परिवर्तित कर सही उपभोग के आधार पर एसेसमेंट बनवाने एवं बकाया राशि को वापिस कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 19.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2.....

27.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.05.2025 व 10.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ललित मोहन आर्य, उपखण्ड अधिकारी, बाजपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1640 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 14.10.2024 को परिवादी के परिसर पर उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बाजपुर तथा विजिलेंस की टीम द्वारा चैकिंग की गयी जिसमें उनके परिसर पर 4.4 किलोवाट विद्युत भार की विद्युत चोरी पकड़ी गयी। इसके उपरान्त विद्युत वितरण उपखण्ड, बाजपुर के पत्रांक 2572 दिनांक 15.10.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) को रू0 182806.00 जुर्माना राशि जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा विद्युत चोरी के राजस्व में उचित निर्धारण करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। खण्ड कार्यालय के पत्रांक 3280 दिनांक 13.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बाजपुर को विद्युत चोरी के प्रत्यावेदन की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त खण्ड कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 3405 दिनांक 26.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा परिवादी के विद्युत राजस्व निर्धारण को संशोधित कर रू0 30968.00 का अन्तिम राजस्व निर्धारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2024 को राजस्व निर्धारण का पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप राजस्व निर्धारण रिपोर्ट, विभागीय कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतियां, संशोधित राजस्व निर्धारण गणना एवं परिवादी द्वारा जमा राजस्व निर्धारण रसीद की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत विद्युत चोरी के मामले में विपक्षी विभाग द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-126 के तहत किए गए निर्धारण से संबन्धित है। चूंकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation/ 2019 के विनियम-3.4 के अनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-126 से संबन्धित प्रकरणों में सुनवाई करना अथवा उनमें कोई निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बुड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र म्र्याल)  
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 38/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर,  
ग्राम अलखदेवी, पो०—प्रेमनगर, तहसील गदरपुर।

परिवादी

बनाम  
अधिकासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा 02 माह पूर्व एक नये विद्युत संयोजन हेतु विभागीय कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हुए आवेदन किया गया था, परन्तु 02 माह के उपरांत भी उनको संयोजन निर्गत नहीं किया गया। उनका पुत्र बीमार है तथा चिकित्सक द्वारा उसे बेडरेस्ट की सलाह दी गई है, लेकिन बिजली के बगैर उसे बहुत परेशानी हो रही है। एक माह उपरांत विभागीय कार्यालय में पुनः सम्पर्क किया गया तो बताया गया कि उनके पिता के नाम पूर्व में एक संयोजन निर्गत है, जिसके कारण उनको दूसरा संयोजन नहीं दिया जा सकता। विभाग द्वारा उनके पिता के नाम निर्गत जिस संयोजन की बात की जा रही है वह 04 वर्ष पूर्व बकाया पर काट दिया गया था। उक्त संयोजन के बिल का पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा मीटर नहीं लगाया गया। वर्तमान में विभाग द्वारा पिछले 04 वर्ष पूर्व उखाड़े गये मीटर का फर्जी बिल बनाकर भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से 04 वर्ष पूर्व काटे गए संयोजन का स्थायी विच्छेदन करते हुए उनको नया विद्युत संयोजन जारी करवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 23.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी

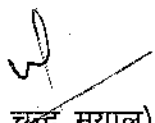
क्रमशः 2.....

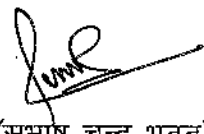
स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-2247 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवारी के आवेदन पर नया विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु रजिस्ट्रेशन संख्या-453280525038 कर दिया गया था तथा परिवारी द्वारा संयोजन शुल्क भी जमा कर दिया गया था। विभागीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त परिसर पर पहले से विद्युत संयोजन निर्गत है, जिसे स्थाई रूप से बन्द (पी0डी0) करने के उपरान्त परिवारी परिसर पर नया संयोजन स्वीकृत करते हुए दिनांक 22.06.2025 को मापक स्थापित कर विद्युत आपूर्ति निर्गत कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये विद्युत संयोजन की सर्विस रिलीज की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवारी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवारी द्वारा प्रस्तुत परिवार स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवारी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 42 / 2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बनबारी लाल पुत्र श्री शिव चरण,  
ग्राम हरिनगर, ढकिया कलां, काशीपुर।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री बनबारी लाल पुत्र श्री शिव चरण का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-371KG11089291 (03 किलोवाट घरेलू) पर 03 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया है, जिसके एवज में दिनांक 07.04.2025 को नेट मीटर का आवश्यक शुल्क सहित विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर जमा करा दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा आज तक उसके सोलर प्लांट पर नेट मीटर स्थापित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभागीय कार्यालय के कई बार चक्कर लगाए गए, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिशाली अभियन्ता, काशीपुर कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को लिखित शिकायत भी की गई, परन्तु उनका सोलर प्लांट अभी तक ग्रिड से नहीं जुड़ पाया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर नेट मीटर लगवाने, सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति दिलवाने की प्रार्थना की है।

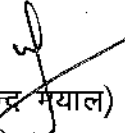
उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 24.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

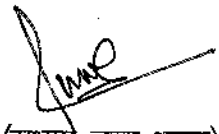
क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-2441 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण काशीपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार परिवादी का स्मार्ट सोलर मीटर संख्या-12064361 दिनांक 28.05.2025 को स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मीटर स्थापना के सीलिंग प्रमाण पत्र एवं संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मथाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
रुधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 43/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दिलावर हुसैन पुत्र श्री विरासत हुसैन,  
नियर डाँ0 कालोनी, मुंडिया पिस्तौर देहात, बाजपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दिलावर हुसैन पुत्र श्री विरासत हुसैन का एक शिकायती पत्र दिनांक 27.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-361D103111390 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर काफी महीनों पहले खराब हो गया था, जिसे विभाग द्वारा बदल दिया गया, परन्तु उसकी प्रविष्टि नहीं होने के कारण आईडीएफ के आधार पर बिल जारी किए जा रहे थे। उक्त मीटर को वर्ष 2025 में अपडेट किया गया है और अधिक रीडिंग का बिल बनाया गया है, जबकि उनके द्वारा आईडीएफ अवधि में भी बिलों का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर आईडीएफ बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ललित मोहन आर्य, उपखण्ड अधिकारी, बाजपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1783 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक खराब (आईडीएफ) होने के कारण विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा दिनांक 28.04.2023 को बदल

क्रमशः 2.....

दिया गया था। विद्युत मापक बदलने के उपरांत माह 01/2025 तक परिवादी को आईडीएफ के बिल प्रेषित किए गये, जिससे परिवादी के विद्युत मापक में कुल रीडिंग 3081 केडब्लूएच हो गयी, जबकि परिवादी के विद्युत मापक में वर्तमान रीडिंग 11485 केडब्लूएच दर्ज है एवं विद्युत बिल रु0 66113.00 का है। जांचोपरांत परिवादी को रु0 11461.00 का समायोजन देते हुए रु0 54651.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मिश्राल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 44/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नेमपाल पुत्र श्री लाल सिंह,  
ग्राम गदरपुरा, तहसील गदरपुर।

परिवादी

बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री नेमपाल पुत्र श्री लाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 27.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-RU2M206356918 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 01.05.2025 की अवधि हेतु कुल उपभोग 74 यूनिट का जारी किया गया है जिसकी गणना गलत की गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की सही गणना के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

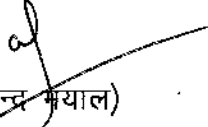
उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-2 को अपने पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.06.2025 व 25.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

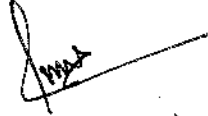
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-2240 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बिल की जांचोपरांत त्रुटि पाये जाने पर परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर रु० 1749.00 का बना दिया गया है, जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

## आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र भट्टाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 49/2025-26

दिनांक : 25.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह,  
ग्राम कुण्डयोवाला, जसपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

परिवादी

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-JS2SE12020961 पर उनके द्वारा सोलर मीटर लगवाया गया है जिसमें विभाग द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र भरते समय मेरे नाम के स्थान पर उनके पिता का नाम दर्ज कर दिया गया है जिस वजह से सोलर की सब्सिडी आवेदन करने पर सीलिंग प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं कर रहा है और सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने सोलर मीटर की सीलिंग प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 03.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी, जसपुर-2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1360 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा आवेदन पर दिनांक 10.03.2025 को स्वामित्व परिवर्तन किया गया था। दिनांक 27.05.2025 को मीटर परिवर्तन के समय में आदानी इनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा पूर्व बिल के आधार पर पूर्व संयोजन धारक श्री सुरेन्द्र कुमार का नाम त्रुटिवश अंकित हो गया था, जिसे वर्तमान में उनके द्वारा मूल प्रति में संशोधन के उपरान्त वर्तमान

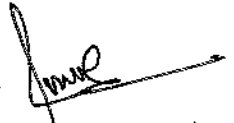
क्रमशः 2.....

संयोजन धारक श्री अमित कुमार का नाम दर्ज करते हुए सीलिंग की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है। विभाग की ओर से की गई उक्त कार्यवाही पर परिवादी द्वारा ई-मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि भी प्रकट की गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं परिवादी द्वारा प्रेषित संतुष्टि पत्र की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मयाल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 36/2025-26

दिनांक : 26.06.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कुलवंत सिंह,  
प्रेमनगर, रामपुर रोड, दोराहा, बाजपुर।  
बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

परिवादी

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री कुलवंत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-361D107034131 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल रू० 4000.00 का प्रेषित किया गया जो बहुत अधिक है, जबकि उनकी विद्युत खपत बहुत कम है और उनका पहले बिल रू० 1000.00 तक का ही आता था। उनके द्वारा फिर भी उक्त बिल का भुगतान कर दिया गया, लेकिन अचानक उनको फिर रू० 13700.00 का बिल प्राप्त हुआ। उनके द्वारा सन्देह होने पर विभागीय कार्यालय में तुरन्त इस संबंध में शिकायत की गई तो उन्हें बताया गया कि विद्युत मीटर खराब होने की वजह से बिल अधिक आया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को बदलवाकर विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 22.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ललित मोहन आर्य, उपखण्ड अधिकारी, बाजपुर के तर्क सुने गये।

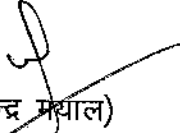
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-1693 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपने संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की जांच हेतु आवेदन किया गया, जिसके उपरान्त विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा परिवादी

क्रमशः 2.....

परिसर पर चैक मापक लगाने हेतु कार्मिकों को भेजा गया। कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी परिसर पर स्थापित पुराना मापक खराब है। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार परिवादी का पुराना मापक खराब होने के कारण चैक मापक स्थापित करना सम्भव नहीं है। परिवादी के पुराने मापक को आईडीएफ मानते हुए माह 05/2025 के विद्युत बिल (रु0 13700.00) को नियमानुसार संशोधित कर रु0 1536.00 का बना दिया गया है। परिवादी परिसर पर दिनांक 26.06.2025 को नया मापक भी स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

### आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

  
(रमेश चन्द्र मथ्याल)  
तकनीकी सदस्य

  
(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य